

कार्यालय,
पत्रांक :- 242

बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण,
/वि0प्रा0/अभि0अनु0/2026-27

बुलन्दशहर।
दिनांक :- 18/04/26

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण की ओर से सपठित नियम व शर्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है -

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रु० में)	धरोहर राशि (रु० में)	कार्य की अवधि	पंजीकृत / निर्धारित श्रेणी	निविदा/ई-निविदा प्राप्त/ डाउनलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	निविदा/ ई-निविदा डालने/अपलोड करने की अन्तिम तिथि	ई-निविदा खोलने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ग्राम किरा खुर्जा में प्रस्तावित औद्योगिक टाउनशिप में 30 मी० चौड़े मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने हेतु सर्विस रोड का निर्माण कार्य।	115.47	3540	2,31,000	09 माह	ए+ श्रेणी (सिविल)	20.04.26	18.05.26 5:00 PM	19.05.26

नियम व शर्तें :

- निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि केवल RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा प्रपत्र में उल्लिखित बैंक खाता सं० 50100165330599 IFSC Code: HDFC0000770, HDFC BANK, BULANDSHAHR in favour of "VC BKDA eTendering" में जमा करायी जायेगी।
- निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
- किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।
- निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाईट को देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन/परिवर्धन विषयक सूचना उपरोक्त वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- उक्त कार्य की निविदा टू-बिड सिस्टम से प्राप्त की जायेंगी।
- उक्त सभी कार्य की विभिन्न मदों में प्रयुक्त दर, जी.एस.टी रहित हैं।
- उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा वित्तीय वर्ष 2026-2027 में नवीनीकरण हेतु आवेदित ठेकेदारों/फर्मों द्वारा आवेदन के समय जमा किये गये शुल्कों की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- उक्त कार्य हेतु निविदादाता के पास स्वयं के स्वामित्व का 50 कि०मी० रेडियस में हॉटमिक्स प्लाण्ट होना अनिवार्य है, इस हेतु रु० 100/- मात्र के नॉन-जुडीशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा अथवा 50 कि०मी० रेडियस में हॉटमिक्स प्लाण्ट का रेन्ट एग्रीमेन्ट नोटरी द्वारा सत्यापित प्रस्तुत करना होगा।
- कार्य में प्रयोग कि ये जाने वाले उप-खनिजों पर रॉयल्टी के भुगतान के सम्बन्ध में भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 13/2020/115/86 -2020-52 (सा०)/2019 टी.सी. दिनांक 15.01.2020 सपठित शासनादेश सं० 2470/86 -2020-52 (सा०)/2019 टी.सी. दिनांक 31.12.2020 में विनिर्दिष्ट व्यवस्था लागू होगी।
- शहर में वायु की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए निर्माणाधीन कार्यों से जनित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, नियमावली 2016 एवं मा० एन.जी.टी के अधिनियम 2010 के नियमों के का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उ०प्र०भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियन्ता
18/04/26